राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान—अजमेर

क्रमांकः— एफ2(1564)पार्टIII/स्था/पमु/2530 दिनांकः 27-2-19

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार एवं अन्य रिट योचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में दिनांक 07.07.2017 को अस्थाई परिणाम घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गयी, में नियुक्तियां आवंटित पदो के संबंध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डीबी स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी रिट पिटिशन संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

आयोग द्वारा दिनांक 16.07.2018 को जारी की गई आरक्षित सूची में से कार्यग्रहण नही करने वाले(NJR) के विरूद्ध अधीनस्थ कार्यालय हेतु कुल 917 अभ्यर्थी पिक अप किये गये। आरक्षित सूची में से नियुक्ति देने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी 16190/2018 योगेन्द्र कुमार कपूरिया व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के द्वारा यथास्थिति के स्थगन आदेश पारित किये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुपालना में प्रशासनिक सुधार (ग्रुप—3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प.1(8)प्र.सु/अनु.—3/2017 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा विभाग को आवटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 के शिड्युल 4 के तहत लेवल 5 में रूपये 14600/— (अक्षरे रूपये चौदह हजार छ सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है —

क्र.स.	नाम अभ्यार्थी	मेरिट न.	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	श्री कालुराम पुत्र नत्थुराम	4239	01.01.1983	कार्यलय उप पंजयीक, श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर)
2.	श्री मुरली मनोहर पुरोहित पुत्र पुरूषोतमदास पुरोहित	4	16.09.1984	कार्यलय उप पंजीयक, बीकानेर—द्वितीय
3.	श्री नरपत सिंह खीची पुत्र सादुल सिंह खीची	33	25.09.1991	कार्यलय उप पंजीयक, पाली—प्रथम
4	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र बाबु लाल शर्मा	73	01.07.1991	कार्यलय उप पंजीयक, कोटकासिम (अलवर)

5.	श्री धर्मपाल पुत्र सुन्दर लाल	77	28.10.1995	कार्यालय उप पंजीयक, कोटकासिम (अलवर)
6.	श्री विवेक शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा	79	20.09.1985	कार्यालय उप पंजीयक, भिवाडी (अलवर)
7.	श्री अर्जुन शर्मा पुत्र राजमल शर्मा	84	05.07.1990	कार्यालय उप पंजीयक, पाली–प्रथम
8.	श्री आशीष कुमार पुत्र परशुराम शर्मा	94	12.06.1992	कार्यालय उप पंजीयक, पोकरण (जैसलमेर)
9.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा	95	19.09.1979	कार्यालय उप पंजीयक, हिण्डौन
10.	श्री जगत सिंह राघव पुत्र सुबे सिंह राघव	119	10.10.1995	कार्यालय उप पंजीयक, अलवर–द्वितीय
11.	श्री राणा राम पुत्र मोतीलाल ब्राहम्ण	123	14.07.1991	कार्यालय उप पंजीयक, जालौर
12.	श्री अभयपाल सिंह देवडा पुत्र सज्जन सिंह देवड़ा	171	21.06.1990	कार्यालय उप पंजीयक, सिरोही
13.	श्री निखिल गुप्ता पुत्र दाऊदयाल गुप्ता	193	01.06.1991	कार्यालय उप पंजीयक, भरतपुर
14.	श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र हरि नारायण	200	24.04.1984	कार्यालय उप पंजीयक, दूदू (जयपुर)
15.	श्री मुकेश कुमार पुत्र छबीला राम	229	13.10.1995	कार्यालय उप पंजीयक, तिजारा (अलवर)
16.	श्री उम्मेद सिंह भाटी पुत्र जीवराज सिंह भाटी	235	05.11.1991	कार्यालय उप पंजीयक, झंवर (जोधपुर)
17.	श्री जगमोहन शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा	265	07.07.1993	कार्यालय उप पंजीयक, उदयपुर–द्वितीय
18.	श्री हर्षित आनन्द अग्रवाल पुत्र नवल किशोर जैन	268	22.06.1994	कार्यालय उप पंजीयक, भरतपुर
19.	श्री गोविन्द सिंह राणावत पुत्र गिरधर सिंह राणावत	306	15.03.1992	कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर–प्रथम
20.	श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र मेवाराम शर्मा	308	31.05.1990	कार्यालय उप पंजीयक, शाहपुरा (जयपुर)
21.	श्री विरेन्द्र पाल सिंह पुत्र नारायण सिंह राठौड़	340	13.02.1993	कार्यालय उप पंजीयक, बानसूर (अलवर)
22.	श्री कुलदीप सिंह पुत्र दयाल सिंह राजपुरोहित	356	07.08.1991	कार्यालय उप पंजीयक, जोधपुर – तृतीय
23.	श्री लोकेश मित्तल पुत्र लेखराज मित्तल	385	11.02.1988	कार्यालय उप पंजीयक, मुण्डावर (अलवर)
24.	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र द्वारका प्रसाद शर्मा	386	07.02.1990	कार्यालय उप पंजीयक, सोजत (पाली)
25.	श्री गजेन्द्र सरावगी पुत्र राजेश कुमार	424	11.10.1989	कार्यालय उप पंजीयक, अलवर द्वितीय
26.	श्री विजेन्द्र गुप्ता पुत्र कृष्णबल्लभ गुप्ता	534	20.08.1990	कार्यालय उप पंजीयक, नीमराना (अलवर)
27.	श्री उमाशंकर शर्मा पुत्र हुकम चन्द शर्मा	554	06.04.1994	कार्यालय उप पंजीयक, निम्बाहेडा (चित्तोडगढ)
28.	श्री राजू शर्मा पुत्र परशुराम	581	25.07.1992	कार्यालय उप पंजीयक, बांसवाडा
29.	श्री अश्वनी शर्मा पुत्र रामकुमार	664	30.03.1990	कार्यालय उप पंजीयक, जैसलमेर
30.	श्री सत्यनारायण बागडा पुत्र सीता राम बागडा	682	10.08.1985	कार्यालय उप पंजीयक, बहादुरपुर (अलवर)
31.	श्री गगन आचार्य पुत्र विश्वप्रिय आचार्य	691	10.11.1994	कार्यालय उप पंजीयक, बीकानेर – द्वितीय
32.	श्री जगदीश बेनिवाल पुत्र भोमाराम बेनिवाल	772	01.02.1995	कार्यालय उप महानिरीक्षक, वृत्त बाडमेर
33.	श्री श्रवण कुमार पुत्र हीरा राम	797	01.01.1992	कार्यालय उप महानिरीक्षक, वृत अजमेर
34.	श्री विक्रम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह	814	24.10.1995	कार्यालय उप पंजीयक, सुमेरपुर (पाली)

35.	श्री पेन्टु कडवासरा पुत्र शिवचन्द कडवासरा	842	25.01.1988	कार्यालय उप पंजीयक, डूंगरपुर
36.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र ख्याली राम	866	12.01.1988	कार्यालय उप पंजीयक, जसोल
37.	श्री मनोज कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद	875	08.02.1991	कार्यालय उप पंजीयक, भीलवाडा–प्रथम
38.	श्री राहुल चौहान पुत्र शान्तिलाल चौहान	879	02.02.1990	कार्यालय उप पंजीयक, तिवरी (जोधपुर)

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. उक्त नियुक्तियॉ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबिसी, एसबीसी/जा.प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.15 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.15 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्य अवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.16 में वर्णित दिशा निर्देशो के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसुची–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, आदि देय नही होगे। उक्त नियुक्ति मे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2017 की शर्ते प्रभावी रहेगी।
6. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नही होगी।
7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 मे नियमानुसार वेतन एंव अन्य भत्ते देय होगें।
8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी मेरिट के अनुसार रहेगी।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा मे कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्ति आदेश एंव गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थियों का पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिले मे किया जा सकता है।
11. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ते देय नही होगे।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि मे अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानानुसार देय होगे।
13. यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परिवीक्षाधीन अवधि मे संतोषप्रद/आचरण नियमों के विपरीत कार्य किया गया तो किसी भी समय सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा। परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद नहीं होने पर परिवीक्षाकाल बढाया भी जा सकता है।

14. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एंव 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगे एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होगे।
15. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगे।
16. कार्यग्रहण करने के पश्चात भविष्य मे किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा मे सम्मिलित होने से पूर्व तथा अग्रिम अध्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फार्म से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
17. कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों मे तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एंव दूसरी प्रति महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को आवश्यक रूप से भेजें। अभ्यर्थी कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई-मेल igrs@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी भेजी जावे।

(रेण जयपाल)
महानिरीक्षक
पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः- एफ2(1564)पार्टIII/स्था/पमु/2531-2731 दिनांकः 27-2-19

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 1(6)प्र0सु0/अनु-3/2017 दिनांक 14.02.2019 के संदर्भ में प्रेषित है।
2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक ....।
4 अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन जयपुर।
5 संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को भेजकर लेख है कि प्रशासनिक सुधार ग्रुप-3 के पत्रांक प.1.(6)प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक 14.02.2019 में दिये गये बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
6 सम्बन्धित उप पंजीयक, प्रशासनिक सुधार ग्रुप-3 के पत्रांक प.1(6)प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक 14.02.2019 में दिये गये बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
7 संबंधित कोषाधिकारी
8 सम्बन्धित अभ्यार्थी श्री ....
....
9 निजी पत्रावली श्री ....
10 गार्ड फाईल।

(वन्दना खोरवाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)